36 दण्ड एवं अभियोजन
Penalties & Prosecution

करदाता को अपनी बात कहने का उचित अवसर दिये बिना कोई भी दण्ड नही लगाया जा सकता तथा यदि करदाता अपनी चूक होने के पीछे उचित कारण (Reasonable cause) का होना साबित कर दे तो धारा 271 (1)(C) को छोडकर अन्य धाराओं के तहत दण्ड नही लगाया जा सकता।

आयकर अधिनियम में करदाताओं से चूक होने पर दण्ड एवं अभियोजन के प्रावधान है, उनमें से कुछ मुख्य परिस्थितियों में दण्ड एवं अभियोजन का प्रावधान निम्नानुसार है :–

क	त्रुटि/चूक (Default)	दण्ड (Penalty)
1	कर भुगतान करने मे चूक	कर की बकाया राशि से अधिक नही धारा 221 (1)
2	आय के विवरणों को छुपाना या आय के गलत विवरण प्रस्तुत करना	जितना कर बचाने की कोशिश की गई, उस राशि से कम नही, और उसके तीन गुना से अधिक नही धारा 271(1)(*C*)
3	व्यापार के पेशे में लगे व्यक्तियों द्वारा निर्धारित बही खाते और दस्तावेज रखने मे चूक	25,000 रू. धारा 271(*A*)
4	01.08.2007 को या उसके बाद धारा 132 के तहत तलाशी का प्रारम्भ	अघोषित आय का 10 प्रतिशत धारा *271(AAA)*
5	बही खातों का आडिट कराने या आडिट रिपोर्ट के रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि तक जमा करने मे चूक	कुल बिक्री, टर्न ओवर या कुल प्राप्तियों का 1/2 प्रतिशत या 1 लाख रू. जो भी कम हो। धारा 271 *B*
6	स्त्रोत पर कर (TDS) की वसूली करने में चूक	कर की राशि, जो कर वसूलने से चूक गयी हो धारा 271*CA*
7	20,000 रू. या उससे अधिक का ऋण या जमा का A/c Pay बैंक चेक/ड्राफ्ट के अलावा स्वीकार /भुगतान करना	स्वीकृत ऋण या जमा की गई राशि के बराबर धारा 271(*D*) धारा 271(*E*)
8	किसी प्रश्न का उत्तर देने जिसके लिए वह कानूनन बाध्य है, अपने द्वारा दिये गये वक्तव्य का हस्ताक्षर करने या संबंध का पालन करने से इंकार करने पर	रू. 10,000 धारा 272(*A*)
9	स्थाई लेखा संख्या PAN के लिए आवेदन करने में चूक या जानबूझ कर गलत पैन नंबर देना	रू. 10,000 धारा 272(*B*)
10	कर कटौती/वसूली लेखा संख्या TAN के लिए आवेदन करने में चूक या जानबूझ कर गलत TAN नंबर देना	रू. 10,000 धारा 272(*B*)

दण्ड लगाने की समय सीमा– सामान्यतः जिस वित्तीय वर्ष में कर निर्धारण प्रकिया पूरी होती है उसकी समाप्ति के पहले या जिस माह में अपीलीय आदेश/दण्ड प्रकिया शुरू हो, के छः माह के अन्दर, जो बाद में हो।